

19.03.25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष उप।  
पत्रावली अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन

करने पर पाया कि मूल दावा जरिये


राजिनामा दिनांक 31/07/2024 को

फैसल हो चुका है। अतः उक्त

पत्रावली अंतर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम के चलाने का



  
सहायक कलेक्टर, सांजौर  
(न्यायिक अधिकारी, सांजौर)

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए।

कोई औचित्य नहीं है। अतः  
पत्रावली इसी स्तर पर खारीज  
की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो। (५११)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)